न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	11/2020	04.03.2020	08/25 (2025/8)	15.01.2025	22.04.2026	1 लगायत 3
2	44/2023	12.09.2023				

1. बुघराम पुत्र पून्या जाति मीना निवासी ग्राम मीनापाड़ा तहसील गंगापुर सिटी।

–अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील तलावड़ा। –रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी पक्ष की और से :– विद्वान अधिवक्ता श्री भानू कुमार सिंघल
2. रेस्पोडेन्ट पक्ष की और से :– पेरोकार सरकार

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार तलावड़ा द्वारा मिसल संख्या 535/15 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मीनापाड़ा के आराजी ख0नं0 780 रकबा 0.08 है0 किस्म गै0मु0नाला पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि पटवारी हल्का बूचोलाई ने अपीलार्थी के विरूद्ध एक झूठी रिपोर्ट [illegible] नम्बर 780 रकवा 0.08 हेक्टर किस्म भूमि गैरमुमकिन नाला वाके ग्राम मीनापाड़ा मय संवत [illegible] में अ[illegible] रूप से अतिक्रमण कर अवैध रूप से बाजेरों काश्त कर कब्जा किये जाने सम्बन्धित जायब त[illegible]दारं उपतहसील तलावडा के समक्ष प्रस्तुत को । उक्त रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार तलावडा ने अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुये 60 दिन के सिविल कारावास से एंव लगान 0.69 की 5 गुना शास्ती 35/–रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:22:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

आरोपित करते हुये दंडित किये जाने का आदेश दिनांक 14-09-2015 को पारित किया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14-09-2015 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एंव विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और एकतरफा कार्यवाही की है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने मे भारी कानूनी भूल की है। अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नही किया है ना ही उक्त भूमि पर कोई बाजरा काश्त किया, अपीलार्थी अतिक्रमी की श्रेणी मे नही आता है। पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य भी मौजूद नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी ने उक्त भूमि पर उक्त समय पर अतिक्रमण करते हुये बाजरा काश्त किया हो । पटवारी हल्का से अपीलार्थी को जिरह का कोई अवसर नहीं मिला है। प्रार्थी के विरूद्व इकतरफा कार्यवाही गलत तरीके से की गयी है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण की कोई सूचना नहीं थी। ऐसे में एकतरफा बयानो पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने विश्वास कर कानूनी भूल की है। मौके पर भूमि बिल्कुल खाली है। परन्तु पटवारी हल्का ने गलत फहमी में अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। श्रीमान् जी चाहे तो मौका दिखाकर रिपोर्ट तलब कर ली जावे । उक्त वाद आराजीयात के संबंध में एक दावा अर्न्तगत धारा 88,207, राज0टी0एक्ट उनवान बुघराम बनाम लैण्ड होल्डर मु0नं0 03/2020 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। जो वर्तमान में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक गंगापुर सिटी में मु0नं0 48/20 उनवान बुघराम बनाम लैण्ड होल्डर विचाराधीन है। जिसमें उक्त भूमि से लगती हुई अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में से सेटिलमेन्ट में बन्दोवस्त अधिकारियों द्वारा 1.52 है0 भूमि कम कर दी गई है, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने उक्त अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार तलावड़ा द्वारा मिसल संख्या 535/15 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2015 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिकमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत दावा अर्न्तगत धारा 88,207, राज0टी0एक्ट उनवान बुघराम बनाम लैण्ड होल्डर मु0नं0 03/2020 की आदेशिका ,दावा एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत जबाब की प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से 1.09 है0 भूमि कम होना अंकित किया है, साथ ही अपीलार्थी ने अपनी अपील तथा दौराने बहस कथन किया है कि उक्त वाद आराजीयात पर अपीलार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:22:03 IST
Reason: SelfAttested

अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तलावड़ा को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार तलावड़ा न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 08/2025 (2025/8) बुघराम बनाम सरकार ।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक गंगापुर सिटी में विचाराधीन मु0नं0 48/20 उनवान बुघराम बनाम लैण्ड होल्डर में ग्राम मीनापाड़ा के आराजी ख0नं0 780 रकबा 0.08 है0 किस्म गै0मु0नाला में अपीलार्थी की खातेदारी दर्ज की जाती है तो निर्णय दिनांक 14.09.2015 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि ग्राम मीनापाड़ा के आराजी ख0नं0 780 रकबा 0.08 है0 किस्म गै0मु0नाला विचाराधीन मुकदमें के निर्णय में अपीलार्थी की खातेदारी दर्ज नहीं की जाती है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.09.2015 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:22:03 IST
Reason: SelfAttested